

**Jharkhand State Pollution Control Board
Government of Jharkhand**



DIPP Point No. 244

Question	Remarks
9a. Inspection reform enablers Q: Differentiate compliance inspection requirements based on industry pollution categorization such as Red, Amber, and Green under all environment/pollution laws URL: http://www.jspcb.org/pdf/1971.pdf	For Red Category of industries, Consent is given for 5 years with inspection in every 2 years. For Orange Category, Consent is given for 10 years with inspection in every 3 years for Orange high risk and in 5 years for low risk category. For Green Category Industries, it is given for 15 years with inspection in once in 15 years



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच० ई० सी०, धुर्वा, राँची
दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फैक्स : 0651-2400850

अधिसूचना सं०:- B-06

राँची, दिनांक:- 15/6/15

अधिसूचना

पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या बी-15, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red Orange एवं Green Category के इकाइयों को पर्षद द्वारा 05, 10 एवं 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निम्नवत निर्गत किए जाएंगे :-

- 1) **Red Category of Industry** :- सभी Red Category के इकाइयों को पाँच वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किए जाएंगे । इन इकाइयों का निरीक्षण सामान्यतया 02 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।
- 2) **Orange Category of Industry** :- सभी Orange Category के इकाइयों को दस वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किए जाएंगे ।
 - a) Orange Category में low risk इकाइयों को सहमति आदेश Self Certification के आधार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।
 - b) Orange Category में High risk इकाइयों को सहमति आदेश (Consent to Operate) third party Inspection के आधार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 3 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।

Consent for 5 years for Red Category Industries with inspection every 2 years

Consent for 10 years for Orange Category Industries with inspection every 3 years for Orange high risk and 5 years for low risk category

**Jharkhand State Pollution Control Board
Government of Jharkhand**



- 3) Green Category of Industry :- सभी Green Category की इकाईयों को परषद द्वारा Self Certification के आधार पर 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किया जाएगा तथा इन इकाईयों का निरीक्षण परषद द्वारा पूरी सहमति की अवधि में सामान्यतया एक बार किया जाएगा ।

निरीक्षण के आधार पर शर्तों के उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में सहमति पत्र की वैधता समाप्त की जा सकेगी ।

Consent for 15 years for
Green Category
Industries with
inspection once in 15
years

ह0/-
(संजय कुमार शुभन)
सदस्य सचिव

ज्ञापक रौंघी, दिनांक

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार रौंघी/ सचिव उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, रौंघी/सचिव खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, रौंघी/निदेशक उद्योग, झारखण्ड सरकार, रौंघी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(संजय कुमार शुभन)
सदस्य सचिव

ज्ञापक B-1968 रौंघी, दिनांक 15/6/15

प्रतिलिपि :- सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/परषद विश्लेषक/ सभी पदाधिकारियों, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परषद/परषद सूचना पट्ट/ परषद website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित

(संजय कुमार शुभन)
सदस्य सचिव

SUPPORTING DOCUMENT



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची

दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फ़ैक्स : 0651--2400850

अधि0 सं0:- B-06

राँची, दिनांक:- 15/6/15

अधिसूचना

पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या बी-15, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red Orange एवं Green Category के इकाइयों को पर्षद द्वारा 05, 10 एवं 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निम्नवत निर्गत किए जाएंगे :-

- 1) Red Category of Industry :- सभी Red Category के इकाइयों को पाँच वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किए जाएंगे । इन इकाइयों का निरीक्षण सामान्यतया 02 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।
- 2) Orange Category of Industry :- सभी Orange Category के इकाइयों को दस वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किए जाएंगे ।
 - a) Orange Category में low risk इकाइयों को सहमति आदेश Self Certification के आधार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।
 - b) Orange Category में High risk इकाइयों को सहमति आदेश (Consent to Operate) third party Inspection के आधार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 3 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।

- 3) Green Category of Industry :- सभी Green Category की इकाईयों को पर्षद द्वारा Self Certification के आधार पर 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किया जाएगा तथा इन इकाईयों का निरीक्षण पर्षद द्वारा पूरी सहमति की अवधि में सामान्यतया एक बार किया जाएगा ।

निरीक्षण के आधार पर शर्तों के उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में सहमति पत्र की वैधता समाप्त की जा सकेगी ।

ह0/-
(संजय कुमार शुभन)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक

राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार राँची/ सचिव उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/सचिव खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/निदेशक उद्योग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(संजय कुमार शुभन)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक B-1968

राँची, दिनांक 15/6/15

प्रतिलिपि :- सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/पर्षद विश्लेषक/ सभी पदाधिकारियों, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद/पर्षद सूचना पट्ट/ पर्षद website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(संजय कुमार शुभन)
सदस्य सचिव